प्रकरण सं० 2316/2007

न्यायालय परगना अधिकारी, कोटा [परगना]

वाद संख्या 20 — धारा 142 एवं 170 अधिनियम

ट्रस्टियान खुशेला ट्रस्ट । बेंट गढ़ गोलाबाद — बनाम — ग्राम सभा मौजा-नयापुर

::निर्णय::

उपरोक्त वाद की अर्थपार्थी ट्रस्टियान खुशेला ट्रस्ट । बेंट गढ़ गोलाबाद द्वारा तहसीलदार कोटा के अनुसार पुत्र की पन्नालाल निवासी नयापुर तहसील कोटा जिला बारां द्वारा पोथिया दुरुस्ती तथा के आधार पर प्रारम्भ हुआ । प्रार्थी के दुरुस्ती का पत्र तहसीलदार कोटा से अभिलेख प्राप्त की गयी ।

तहसीलदार कोटा द्वारा दिनांक 28-6-2006 को जो अभिलेख प्रस्तुत की गयी जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम नयापुर में स्थित खसरा नं० 1412 व 1417 वाली 0.6 की आराजी खाता संख्या 31 खसरा संख्या 164 रकबा 2-36.20 हे० बमानी 1.6-75 वीघे ट्रस्टियान खुशेला ट्रस्ट । बेंट गढ़ गोलाबाद के अनुसार की अनुसार पुत्र की पन्नालाल निवासी नयापुर तहसील कोटा जिला बारां के पक्ष तीसरा ग्राम पंचायत के रूप में सीमा के अन्तर्गत खाता संख्या पर स्थानीय निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त ग्राम में कृषि/आवासीय प्रयोजन किसी प्रकार पालन और प्रकट पालन की अनुमति के प्रयोजन से नहीं आ रही है । उक्त ग्राम मौजा नयापुर परगना व तहसील कोटा जिला बारां पर कृषि कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लाती जा रही है तथा कृषि कार्य हेतु प्रयोग में नहीं लायी जा रही है । प्रार्थी अपनी उक्त कृषि की आबादी पोथिया लाना चाहता है । खसरा नम्बर 164 रकबा 2-36.20 हे० बमानी 1.6-75 वीघे स्थित मौजा नयापुर को आवासीय में पोथिया किये जाने की प्रार्थना की है जो बराबरी व आवासीय जिला तथा प्रार्थी बोलता । तहसीलदार कोटा की आख्या दिनांक 20-6-2006 को के अनुसार कृषि खसरा नम्बर 164 रकबा 2-36.20 हे० बमानी 1.6-75 वीघे स्थित मौजा नयापुर परगना व तहसील कोटा जिला बारां पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है उक्त आवासीय प्रयोजन हेतु पोथिया किये जाने की प्रार्थना की है ।

::आदेश::

तहसीलदार कोटा की आख्या दिनांक 20-6-2006 की सत्यता को मानते हैं । कृषि खसरा संख्या 31 खसरा नम्बर 164 रकबा 2-36.20 हे० बमानी 1.6-75 स्थित मौजा नयापुर परगना व तहसील कोटा जिला बारां में आवासीय प्रयोजन पोथिया किया जाता है । तहसीलदार परगना उक्त दराम्द करते हैं । आज्ञा [illegible] अर्थपार्थी दरोक्ष दर्शाते हैं ।

दिनांक: 23-6-07

[illegible]
परगना अधिकारी, कोटा ।

उक्त आदेश मेरे द्वारा लिखाया गया व मेरे न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांक: 23-6-07

[illegible]
परगना अधिकारी, कोटा ।